

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर


क्रमांक: प.10(न.पा.)(ब.घो.)(क्रमोन्नत)डीएलबी/23/3121

दिनांक: 1/8/2023

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 329 सपटित धारा 337 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए एन.सी.आर. क्षेत्र एवं बढ़ते हुए औद्योगिकरण को दृष्टिगत रखते हुए, विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2428 दिनांक 17/07/2023 के द्वारा निर्धारित मानको में शिथिलन देते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नगर परिषद अलवर (जिला-अलवर) को नगर निगम में क्रमोन्नत किया किया जाता है। यह अधिसूचना तुरन्त प्रभाव से प्रभावशील होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(हृदयेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(ब.घो.)(क्रमोन्नत)डीएलबी/23/3122-3160 दिनांक: 1/8/2023
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री /मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, शासन सचिवालय राज. जयपुर को अतिरिक्त पद एवं व्ययभार स्वीकृति हेतु।
04. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, शासन सचिवालय राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर।
07. निदेशक, जनगणना विभाग, झालाना झूंगरी, राज. जयपुर।
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त जयपुर एवं जिला कलेक्टर अलवर राजस्थान।
10. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
11. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंकराज राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 10 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।